भारत का संविधान
[Constitution of India]

यथा समय संशोधित एवं टिप्पणी सहित

Manohar Memorial College
LIBRARY
Accession No. 1799
Classification ....
FATEH BAD (HISAR)

१९६९

1799

मूल्य ५'००

प्रकाशक :
सेन्ट्रल ला एजेन्सी
कानूनी पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक
११, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद-२

CamScanner

342.54

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना १

भाग १

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

अनुच्छेद

१ संघ का नाम और राज्य-क्षेत्र २

२ नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना २

३ नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना २

४ प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधियाँ ३

भाग २

नागरिकता

५ इस संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता ४

६ पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ४

७ पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकार ५

८ भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार ५

९ विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक न होंगे ५

१० नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ५

११ संसद् विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी ५

भाग ३

मूल अधिकार

साधारण

१२ परिभाषा ६

१३ मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ ६

CamScanner

अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या

समता-अधिकार

१४ विधि के समक्ष समता ६
१५ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ७
१६ राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता ७
१७ अस्पृश्यता का अन्त ८
१८ खिताबों का अन्त ८

स्वातन्त्र्य-अधिकार

१९ वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण ८
२० अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण ९
२१ प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण १०
२२ कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण १०

शोषण के विरुद्ध अधिकार

२३ मानव के पण्य और बलात्श्रम का प्रतिषेध ११
२४ कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध ११

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

२५ अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ११
२६ धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता १२
२७ किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतन्त्रता १२
२८ कुछ शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता १२

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२९ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण १२
३० शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार १३

सम्पत्ति का अधिकार

३१ सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन १३
३१-क सम्पदाओं आदि के अर्जन के लिये उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति १४
३१-ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण १६

सांविधानिक उपचारों के अधिकार

३२ इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार ... १७
३३ इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्था में, रूपभेद करने की संसद् की शक्ति १७

अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या

३४ जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों पर निर्बन्धन ... १८
३५ इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान १८
३५क. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों विषयक विधियों की व्यावृत्ति १९

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

३६ परिभाषा २०
३७ इस भाग में वर्णित तत्वों की प्रयुक्ति ... २०
३८ लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा २०
३९ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व २०
४० ग्राम-पंचायतों का संघटन २०
४१ कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार २१
४२ काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति-सहायता का उपबन्ध २१
४३ श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि २१
४४ नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता २१
४५ बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध २१
४६ अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति २१
४७ आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य २१
४८ कृषि और पशुपालन का संघटन ... २१
४९ राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण २२
५० कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण २२
५१ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति २२

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

५२ भारत का राष्ट्रपति २३
५३ संघ की कार्यपालिका शक्ति २३
५४ राष्ट्रपति का निर्वाचन २३
५५ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति २३
५६ राष्ट्रपति की पदावधि २४
५७ पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता २४

CamScanner

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

६८ राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएँ ....
६९ राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें ....
७० राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ....
७१ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ....
७२ राष्ट्रपति-पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ....
७३ भारत का उपराष्ट्रपति ....
७४ उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-सभा का सभापति होना ....
७५ राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन ....
७६ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन .. ..
७७ उपराष्ट्रपति की पदावधि ....
७८ उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ....
७९ उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ....
८० अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन .. ..
८१ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय ....
८२ क्षमा, आदि की तथा कुछ अपराधों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति ....
८३ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ....

मन्त्रि-परिषद्

८४ राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद् ....
८५ मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध ....

भारत का महान्यायवादी

८६ भारत का महान्यायवादी ....

सरकारी कार्य का संचालन

८७ भारत सरकार के कार्य का संचालन ....
८८ राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्त्तव्य ... ...

अध्याय २—संसद्

साधारण

८९ संसद् का गठन ....
९० राज्य-सभा की रचना ....
९१ लोक-सभा की रचना ....
९२ प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन ... .
९३ संसद् के सदनों की अवधि ....

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

९४ संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता ....
९५ संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन ....
९६ सदनों को संदेश भेजने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार ....
९७ संसद् के प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ....
९८ सदनों विषयक परिषदों और महान्यायवादी के अधिकार ....

संसद् के पदाधिकारी

९९ राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति ....
१०० उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना ....
१०१ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति ....
१०२ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा ....
१०३ लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ....
१०४ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना ....
१०५ अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ....
१०६ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा ....
१०७ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ....
१०८ संसद् का सचिवालय ....

कार्य-संचालन

१०९ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ....
११० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति ....

सदस्यों की अनर्हताएँ

१११ स्थानों की रिक्तता ....
११२ सदस्यता के लिये अनर्हताएँ ....
११३ सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन ....
११४ अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड ....

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

११५ संसद् के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि ....

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

१०६ सदस्यों के वेतन और भत्ते ४१

विधान-प्रक्रिया

१०७ विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध ४२
१०८ किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ४३
१०९ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया ४३
११० धन-विधेयकों की परिभाषा ४३
१११ विधेयकों पर अनुमति ४४

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

११२ वार्षिक-वित्त-विवरण ४५
११३ संसद् में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया ४५
११४ विनियोग-विधेयक ४६
११५ अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान ४६
११६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ४६
११७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध ४७

साधारणतया प्रक्रिया

११८ प्रक्रिया के नियम ४८
११९ संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ४८
१२० संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा ४८
१२१ संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन ४८
१२२ न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जाँच न करेंगे ४९

अध्याय ३—राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ

१२३ संसद् के विश्रान्ति-काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति ... ४९

अध्याय ४—संघ की न्यायपालिका

१२४ उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन ४९
१२५ न्यायाधीशों के वेतन आदि ५१
१२६ कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति ५१
१२७ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ५१
१२८ सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालय की बैठकों में उपस्थिति ५२
१२९ उच्चतमन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा ५२
१३० उच्चतमन्यायालय का स्थान ५२
१३१ उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ५२
१३२ किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ५३

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

१३३ उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की अपीलों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ५३
१३४ दंड-विषयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार — ५४
१३५ वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना ५४
१३६ अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत — ५४
१३७ निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमन्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन ५५
१३८ उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि — ५५
१३९ कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायालय को प्रदान ५५
१४० उच्चतमन्यायालय की सहायक शक्तियाँ — — ५५
१४१ उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी ५५
१४२ उच्चतमन्यायालय की आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश ... — ५५
१४३ उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति — ५६
१४४ असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे — — ५
१४५ न्यायालय के नियम आदि — —
१४६ उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय —
१४७ निर्वचन —

अध्याय ५—भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

१४८ भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक .... —
१४९ नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ — ...
१५० लेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की शक्ति .... —
१५१ लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

भाग ६

राज्य

अध्याय १—साधारण

१५२ परिभाषा —

अध्याय २—कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३ राज्यों के राज्यपाल —
१५४ राज्य की कार्यपालिका शक्ति —

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

१५५ राज्यपाल की नियुक्ति ६०
१५६ राज्यपाल की पदावधि ६०
१५७ राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएँ ६१
१५८ राज्यपाल-पद के लिये शर्तें ६१
१५९ राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ६१
१६० कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन ६१
१६१ क्षमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति ६२
१६२ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ६२

मंत्रि-परिषद्

१६३ राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद् ६२
१६४ मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध ६२

राज्य का महाधिवक्ता

१६५ राज्य का महाधिवक्ता ६३

सरकारी कार्य का संचालन

१६६ राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ६३
१६७ राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्त्तव्य ६३

अध्याय ३—राज्य का विधान-मंडल

साधारण

१६८ राज्यों के विधान-मंडलों का गठन ६४
१६९ राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन या सृजन ६४
१७० विधान-सभाओं की रचना ६४
१७१ विधान-परिषदों की रचना ६५
१७२ राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ६६
१७३ राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता ६६
१७४ राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ६७
१७५ सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार ६७
१७६ प्रत्येक सत्रारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ६७
१७७ सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ६८

राज्य के विधान-मण्डल के पदाधिकारी

१७८ विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ६८

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

१७९ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना ६८
१८० अध्यक्ष-पद के कर्त्तव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ६८
१८१ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा ६९
१८२ विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति ६९
१८३ सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना ६९
१८४ उपसभापति या अन्य व्यक्ति को सभापति-पद के कर्त्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति ६९
१८५ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा ७०
१८६ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ... ७०
१८७ राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय ७०

कार्य-संचालन

१८८ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ७०
१८९ सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुये भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति ७१

सदस्यों की अनर्हताएँ

१९० स्थानों की रिक्तता ७१
१९१ सदस्यता के लिये अनर्हताएँ ७२
१९२ सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय ७२
१९३ अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अनर्ह होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने और मत देने के लिये दंड ७२

राज्य के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

१९४ विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि ७३
१९५ सदस्यों के वेतन और भत्ते ७३

विधान-प्रक्रिया

१९६ विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध ७३
१९७ धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निर्बन्धन ७४
१९८ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया ७५
१९९ धन-विधेयकों की परिभाषा ७५
२०० विधेयकों पर अनुमति ७६
२०१ विचारार्थ रक्षित विधेयक ७६

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

२०२ वार्षिक-वित्त-विवरण ७७
२०३ विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया ७७
२०४ विनियोग विधेयक ७८
२०५ अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान ७८
२०६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ७९
२०७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध ७९

साधारणतया प्रक्रिया

२०८ प्रक्रिया के नियम ८०
२०९ राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ८०
२१० विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा ८०
२११ विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन ८०
२१२ न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न करेंगे ८१

अध्याय ४—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ

२१३ विधानमंडल के विश्रान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेश-प्रख्यापन शक्ति ८१

अध्याय ५—राज्यों के उच्चन्यायालय

२१४ राज्यों के लिये उच्चन्यायालय ८२
२१५ उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे ८२
२१६ उच्चन्यायालयों का गठन ८२
२१७ उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें ८२
२१८ उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को लागू होना ८३
२१९ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ८४
२२० स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि वृत्ति पर निर्बन्धन ८४
२२१ न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि ८४
२२२ एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण ८४
२२३ कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति ८५
२२४ अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति ८५
२२४क उच्चन्यायालयों की बैठकों में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ८६
२२५ वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार ८६
२२६ कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति ८६
२२७ सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति ८७
२२८ विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण ८७
२२९ उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय ८७
२३० उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य-क्षेत्रों में विस्तार ८८

२३१ दो या अधिक राज्यों के लिये एक उच्चन्यायालय की स्थापना ८८

अध्याय ६—अधीन न्यायालय

२३३ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ८९
२३३-क कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ और उनके द्वारा दिये गये निर्णयों, आदि की वैधता ८९
२३४ न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती ९०
२३५ अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण ९०
२३६ निर्वचन ९०
२३७ कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना ९०

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

२३८ [निरसित] ९०

भाग ८

संघ राज्य-क्षेत्र

२३९ संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन ९१
२३९क—कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मण्डलों या मन्त्रि परिषदों या दोनों का सृजन ९१
२४० कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति ९१
२४१ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए उच्चन्यायालय ९२
२४२ [निरसित] ९२

भाग ९

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

२४३ [निरसित] ९३

भाग १०

अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्र

२४४ अनुसूचित और आदिमजाति क्षेत्रों का प्रशासन ९३

भाग ११

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

२४५ संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार ९४
२४६ संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के विषय ९४

अनुच्छेद		पृष्ठ संख्या
२४७	किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद् को शक्ति	९५
२४८	अवशिष्ट विधान-शक्तियाँ	९५
२४९	राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	९५
२५०	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	९५
२५१	अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	९६
२५२	दो या अधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना	९६
२५३	अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान	९७
२५४	संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	९७
२५५	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना	९७

अध्याय २—प्रशासन-सम्बन्ध

साधारण

२५६	संघ और राज्यों के आभार	९८
२५७	किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण	९८
२५८	कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति	९९
२५८क	संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति	९९
२५९	[निरसित]	९९
२६०	भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार	९९
२६१	सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ	१००

जल सम्बन्धी विवाद

२६२	अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्यायनिर्णयन	१००

राज्यों के बीच समन्वय

२६३	अन्तर्राज्य परिषद् विषयक उपबन्ध	१००

भाग १२

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और व्यवहार-वाद

अध्याय १—वित्त

साधारण

२६४	निर्वचन	१०१
२६५	विधि-प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना	१०१
२६६	भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक-लेखे	१०१
२६७	आकस्मिकता निधि	१०१

अनुच्छेद		पृष्ठ संख्या

संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

२६८	संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क	१०२
२६९	संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले कर	१०२
२७०	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर	१०३
२७१	संघ के प्रयोजनों के लिये कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार	१०४
२७२	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे	१०४
२७३	पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में अनुदान	१०४
२७४	राज्य हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा	१०५
२७५	कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान	१०५
२७६	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर	१०६
२७७	व्यावृत्ति	१०६
२७८	[निरसित]	१०६
२७९	शुद्ध आगम की गणना	१०७
२८०	वित्त-आयोग	१०७
२८१	वित्त-आयोग की सिफारिशें	१०७

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध

२८२	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय	१०७
२८३	संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि	१०७
२८४	लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा	१०८
२८५	संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति	१०८
२८६	वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन ...	१०८
२८७	विद्युत पर करों से विमुक्ति	१०९
२८८	पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति	११०
२८९	संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति	११०
२९०	कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन	१११
२९०क	कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक देयनी	१११
२९१	शासकों की निजी थैली की राशि	१११

अध्याय २—उधार लेना

२९२	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	१११
२९३	राज्यों द्वारा उधार लेना	१११

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

अध्याय ३—सम्पत्ति, संविदा, [illegible] और व्यवहार-वाद

२९४ कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार ११३
२९५ अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार ११३
२९६ राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति ११३
२९७ जलप्रांगण में स्थित मूल्यवान् चीजें संघ में निहित होंगी ११४
२९८ व्यापार आदि करने की शक्ति ११४
२९९ संविदाएँ ११४
३०० व्यवहार-वाद और कार्यवाहियाँ ११५

भाग १३

भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

३०१ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता ११५
३०२ व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने की संसद् की शक्ति ११५
३०३ व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निर्बन्धन ११५
३०४ राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन ११६
३०५ वर्तमान विधियों और राज्य एकाधिपत्यों के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ११६
३०६ [निरसित] ११६
३०७ अनुच्छेद ३०१ और ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति ११६

भाग १४

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

अध्याय १—सेवाएँ

३०८ निर्वचन ११७
३०९ संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें ११७
३१० संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि ११७
३११ संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना ११८
३१२ अखिल भारतीय सेवायें ११८
३१३ अन्तर्वर्ती उपबन्ध ११८
३१४ कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध ११९

अध्याय २—लोकसेवा-आयोग

३१५ संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा-आयोग ११९

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

३१६ सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि १२०
३१७ लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना १२१
३१८ आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति १२२
३१९ आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध १२२
३२० लोकसेवा-आयोगों के कृत्य १२३
३२१ लोकसेवा-आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति १२४
३२२ लोकसेवा-आयोगों के व्यय १२४
३२३ लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन १२४

भाग १५

निर्वाचन

३२४ निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन-आयोग में निहित होंगे १२५
३२५ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा १२६
३२६ लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना १२६
३२७ विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति १२६
३२८ किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति १२६
३२९ निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक १२६

भाग १६

कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध

३३० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण १२७
३३१ लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व १२७
३३२ राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण १२७
३३३ राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व १२८
३३४ स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा १२८
३३५ सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावे १२९
३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध १२९
३३७ आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध १२९

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

३३८ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी ....
३३९ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ संघ का विवेचन ....
३४० बिखरे हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति ....
३४१ अनुसूचित जातियाँ ....
३४२ अनुसूचित आदिम जातियाँ ... .

भाग १७
राजभाषा
अध्याय १—संघ की भाषा

३४३ संघ की राजभाषा ....
३४४ राजभाषा के लिये आयोग और संसद् की समिति ... ...

अध्याय २—प्रादेशिक भाषाएँ

३४५ राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ ....
३४६ एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा ....
३४७ किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध ....

अध्याय ३—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

३४८ उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ....
३४९ भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया ....

अध्याय ४—विशेष निदेश

३५० व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा ....
३५०क प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएँ ... .
३५०-ख भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी ....
३५१ हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश ....

भाग १८
आपात-उपबन्ध

३५२ आपात की उद्घोषणा ... .
३५३ आपात की उद्घोषणा का प्रभाव ....
३५४ आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति ... .
३५५ बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्त्तव्य ....
३५६ राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध ....

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

३५७ अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी शक्तियों का प्रयोग ....
३५८ आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन ... .
३५९ आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन ....
३६० वित्तीय-आपात के बारे में उपबन्ध

भाग १९
प्रकीर्ण

३६१ राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण ... .
३६२ देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार ....
३६३ कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन ....
३६४ महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध ....
३६५ संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव ... .
३६६ परिभाषाएँ ....
३६७ निर्वचन ....

भाग २०
संविधान का संशोधन

३६८ संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया ....

भाग २१
अस्थायी, तथा अन्तर्कालीन तथा विशेष उपबन्ध

३६९ राज्य सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची में हैं ... .
३७० जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध ....
३७१ आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और मुम्बई राज्यों के विषय में विशेष उपबन्ध ....
३७१-क नागा लैंड राज्य के बारे में विशेष उपबन्ध ....
३७२ वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उनका अनुकूलन ....
३७२क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति ....
३७३ निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति ....
३७४ फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों के तथा फेडरलन्यायालय में अथवा समक्षद् सम्राट के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में उपबन्ध ....
३७५ संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना ....
३७६ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध ....
३७७ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबन्ध ....

अनुच्छेद पृष्ठ

३७८ लोकसेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध ... .

३७८क आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की अस्तित्वावधि के बारे में विशेष उपबन्ध .....

३७९–३९१ [निरसित] ....

३९२ कठिनाइयाँ दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ....

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

३९३ संक्षिप्त नाम ....

३९४ प्रारम्भ १५

३९५ निरसन १५

अनुसूचियाँ

प्रथम अनुसूची—भारत के राज्य और राज्य-क्षेत्र १५९

द्वितीय अनुसूची—

भाग (क) राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध १६२

भाग (ख)—[निरसित] १६२

भाग (ग)—लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध १६३

भाग (घ)—उच्चतमन्यायालय तथा उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध १६३

भाग (ङ)—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध १६६

तृतीय अनुसूची—शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र १६६

चतुर्थ अनुसूची—राज्य-सभा में के स्थानों का बंटवारा १६९

पंचम अनुसूची—अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध १७०

भाग (क)—साधारण १७०

भाग (ख)—अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण १७०

भाग (ग)—अनुसूचित क्षेत्र १७१

भाग (घ)—अनुसूची का संशोधन १७२

षष्ठ अनुसूची—आसाम में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध १७२

सप्तम अनुसूची

सूची १—संघ सूची १८४

सूची २—राज्य सूची १८९

सूची ३—समवर्ती सूची १९३

अष्टम अनुसूची—भाषाएँ १९६

नवम अनुसूची—कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण १९६